दैनिक
दबंग दुनिया
निष्पक्ष नजर, निष्पक्ष खबर

इंदौर, शुक्रवार, 20 नवंबर 2015
www.dabangdunia.co

वन्य क्षेत्रों से लगे 154 थानों के स्टाफ को 43 फीसदी ज्ञान, ठोस प्रशिक्षण व संसाधन की जरूरत, पीआरटीएस का अनूठा सर्वे

शिकारियों पर शिकंजे के लिए पुलिस बना रही खाका

संतोष शितोले • इंदौर

प्रदेश के पुलिस महकमे को रेडियो, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सहित कई बिंदुओं पर आयाम देने वाले पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) ने प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार पर नियंत्रण तथा उनके संरक्षण को लेकर एक पहल की है। पीआरटीएस ने इसके लिए सर्वे कर खाका तैयार किया है। इसके तहत वन्य प्राणियों के शिकार के नियंत्रण एवं संरक्षण के लिए योजना बनाई जा रही है। वन विभाग से समन्वय स्थापित कर इसे अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। अगर शासन स्तर से हरी झंडी मिली तो जल्द ही इसके बेहतर परिणाम भी सामने होंगे। देशभर में यह अपने तरह का पहला व अनूठा सर्वे है।

दरअसल, प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार के मामले में कार्रवाई के लिए वन विभाग का ही कार्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन पुलिस को भी अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत वन्य प्राणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। मैदानी स्थिति ये है कि इस मामले में पुलिस के पास प्रशिक्षण व संसाधन का अभाव है। इसे लेकर पीआरटीएस ने पिछले साल प्रदेश में एक सर्वे किया था, जिसमें कुछ ऐसी स्थिति सामने आई।

हाईलाइट्स

- प्रदेश में अभयारण्य व वन्य क्षेत्रों से लगे 154 थाने व पुलिस चौकियां हैं।
- ये थाने व चौकियां सघन वन्य क्षेत्रों में हैं। यहां शिकारी वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं।
- सर्वे में ये बात सामने आई कि प्रदेश में वन्य क्षेत्र से लगे थानों में 43 फीसदी स्टाफ को वन्य प्राणियों के संरक्षण अधिनियम सहित इससे जुड़ी धाराओं की पूरी तथा 19 फीसदी को आधी जानकारी है। 9 फीसदी स्टाफ को बहुत कम जानकारी है।
- विडंबना ये कि 77 फीसदी स्टाफ इसके लिए प्रशिक्षित नहीं है, जबकि मात्र 7 प्रतिशत प्रशिक्षित है।
- इसी तरह इन वन्य क्षेत्रों से लगे थानों के 69 फीसदी स्टाफ के पास संसाधन नहीं हैं। 5 फीसदी के पास ही ऐसे संसाधन हैं तथा 10 फीसदी के पास कुछ संसाधन हैं।
- इसके लिए वन्य क्षेत्र से लगे थानों के कांस्टेबल से लेकर टीआई तक 280 को आधार बनाकर शोध किया गया। इस शोध पर बनी योजना प्रदेश के वन्य क्षेत्र के स्टाफ पर लागू होगी।

...तो समन्वय से ऐसे आएंगे परिणाम

- दूसरी ओर वन विभाग के पास संसाधन भले ही हो, फिर भी इतनी बड़ी टीम नहीं है कि पूरी तरह नियंत्रण कर सके। ऐसे में पुलिस के समन्वय से इसे नई दिशा दी जा सकेगी।
- वन विभाग के साथ पुलिस दबिश, सर्चिंग एवं कार्रवाई में मौजूद रहेगी तो शिकारियों पर आसानी से शिकंजा कसा जा सकेगा।
- वन विभाग से ज्यादा पुलिस के पास मजबूत सूचना तंत्र होता है। दोनों विभागों के समन्वय से सूचना मिलने के बाद ठोस कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि पुलिस विभाग में कार्रवाई का अधिकार एसआई या उससे वरिष्ठ अफसर को है।
- खास बात ये कि ऐसे मामलों में भी वन विभाग से गहन इन्वेस्टिगेशन पुलिस का होता है। इससे आरोपियों को सजा मिल सकेगी।
- समन्वय होने से शिकारियों को पुलिस का खौफ रहेगा।

जल्द ही अच्छे परिणाम

पीआरटीएस ने साइबर क्राइम पर नियंत्रण, पुलिस रेडियो सहित अन्य बिंदुओं पर समय-समय पर प्रशिक्षण देकर पुलिस को मजबूत किया है। वन्य प्राणियों के मामले में भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के साथ दो बड़े सेमिनार आयोजित कर प्रदेश के पुलिस स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। सर्वे कर पता चला कि स्टाफ को उचित प्रशिक्षण व संसाधन की जरूरत है। योजना प्रक्रिया में है।

वरुण कपूर, निदेशक व आईजी (पीआरटीएस)